

**Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members**

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE**

**(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society of Mumbai and The Library of the Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society of Mumbai and The Library of the Asiatic Society of Mumbai, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11351/17/24]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salar Jung Museum, Hyderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11352/17/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11353/17/24]

**12.02 hrs** (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK):** Sir, I rise to

lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai,

for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11354/17/24]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11355/17/24]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 73 of the Major Port Authorities Act, 2021:-

- (i) The Board of Major Port Authority for Mormugao Port (Meetings and Transaction of Business) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. GAD/MPA/REGS//001/2023(E) in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> September, 2023 together with a corrigendum thereto (in Hindi version only) published in Notification No. F.No. GAD/MPA/REGS/001/2023, 20 December, 2023, dated the 4<sup>th</sup> January, 2024.
- (ii) The Mormugao Port Authority (Stevedoring and Shore Handling)

Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. GAD/Legal-Amend/23/2023 in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 11356/17/24]

**श्री अश्विनी कुमार चौबे(बक्सर) :** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 435(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 938(अ) जो दिनांक 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 1173(अ) जो दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तौडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 1191(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (पांच) का.आ. 6212(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 6319(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 1220(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 2606(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 107(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 814(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 2631(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जयसामंद वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 4047(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 4268(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (एमएचटीआर) पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 1717(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 1929(अ) जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) का.आ. 3683(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भैनसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 4668(अ) जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ. 3142(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ. 4843(अ) जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 5236(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1260(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का.आ. 2819(अ) जो दिनांक 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ. 3515(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।





- (उनसठ) का.आ. 1568(अ) जो दिनांक 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरिके वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (साठ) का.आ. 4446(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (इकसठ) का.आ. 3144(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11357/17/24]

(3) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.756(अ) जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की क्रम सं. 28 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11358/17/24]

(4) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन्य जीव (संरक्षण) नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11359/17/24]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 81(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4751(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11360/17/24]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** माननीय सभापति महोदय, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (धार्मिक शिक्षक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 6 जनवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 11361/17/24]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 913(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कटिंग, मेकिंग या वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली औद्योगिक लेजर मशीनों' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.का.नि. 915(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ओमान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ?कम से कम एक तरफ लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल्स' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 918(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'व्हील लोडर' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 928(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 41(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ?मेटा फेनिलीन डायमाइन? पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी सनसेट रिव्यू अंतिम निष्कर्षों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11362/17/24]

- (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 904(अ) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 909(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 925(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 929(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 40(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11363/17/24]

- (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 1(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 2(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 42(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11364/17/24]

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 11365/17/24]

(5) संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11366/17/24]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30, 30क, 41,41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की धारा उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11367/17/24]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5492(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 01/2024-सी.शु.(एन.टी.), दिनांक 4 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ.177(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) अधिसूचना संख्या 04/2024-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) अधिसूचना संख्या 90/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) का.आ.5350(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) अधिसूचना संख्या 92/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 93/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11368/17/24]

- (8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2023/162 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ((वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2024/163 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 11369/17/24]

- (9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आयकर संशोधन (28वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.898(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) आयकर संशोधन (29वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) आयकर संशोधन (30वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.908(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 11370/17/24]

- (10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 10(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 1(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में गठित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(11) अधिसूचना संख्या फा.सं.370142/43/2023-टीपीएल, दिनांक 28 दिसंबर 2023 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत उप-धारा (4) के दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 11371/17/24]

(12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग-(2022 का संख्यांक 4)-संघ सरकार (निष्पादन लेखापरीक्षा) ।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल)- केंद्रीय स्वायत्तशासी निकाय-(2023 का संख्यांक 25) ।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-2023 के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार-रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT 11372/17/24]

(13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 11373/17/24]

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 11374/17/24]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH):** Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11375/17/24]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना संख्या (एन-12011/01/2023-पीएंडडी) नई दिल्ली जो दिनांक 12 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के 01.07.2022 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए विस्तार को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) अधिसूचना संख्या यू-11/13/2/2019-मेडिकल। जो दिनांक 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की दर और अन्य विवरणों को अधिसूचित किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में अल्प उपयोग में लाए जा रही चिकित्सा सेवाओं का आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों द्वारा कतिपय शर्तों के अध्याधीन अन्य लाभार्थियों के रूप में लाभ उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 15 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में आशोधन, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 06.09.2016 को आयोजित 169वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26.05.2005 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 73घ में उल्लिखित योजना के प्रयोक्ता प्रभारों की दर और अन्य ब्यौरों को अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 2 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में कतिपय आशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तों) विनियम, 2023 जो दिनांक 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेड-24/14/1/2020-डीपीसी(ई.आई.) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 16 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी अधिकारियों को भारत में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करने हेतु अधिसूचित किया गया है।।
- (आठ) का. आ. 2059(अ) जो दिनांक 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का. आ. 3215(अ) जो दिनांक 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11376/17/24]

- (3) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11377/17/24]

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

- (1) अधिसूचना संख्या एनसीटीई-सीडीएन016(13)/19/2021-सीडीएन-एचक्यू, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की चार क्षेत्रीय समितियों के लिए सदस्यों को नामित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11378/17/24]

- (2) (एक) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11379/17/24]

- (4) (एक) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी), हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)  
तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी) के वर्ष 2022-2023 के वर्ष कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11380/17/24]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक):** माननीय सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री ए. नारायणस्वामी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

- (1) (एक) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11381/17/24]

- (3) (एक) बाबू जगजीवन राम नैशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) बाबू जगजीवन राम नैशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11382/17/24]

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर):** माननीय सभापति महोदय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11383/17/24]

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11384/17/24]

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11385/17/24]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक):** माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ।

- (1) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11386/17/24]

**\*m14 शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।  
(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
[Placed in Library, See No. LT 11387/17/24]
- (3) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
[Placed in Library, See No. LT 11388/17/24]
- (5) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
[Placed in Library, See No. LT 11389/17/24]
- (7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
[Placed in Library, See No. LT 11390/17/24]
- (9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 11391/17/24]
- (11) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 11392/17/24]
- (13) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 11393/17/24]
- (15) (एक) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 11394/17/24]
- (17) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 11395/17/24]
- (19) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11396/17/24]

**\*m15 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD):** Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of

India ? Union Government (Commercial) ? Compliance Audit of Activities of Selected CPSEs (No. 15 of 2023) for the year ended March, 2022 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 11397/17/24]

**\*m16 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR):** Hon. Chairman, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Education Society for Tribal Students, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Education Society for Tribal Students, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11398/17/24]

**\*m17 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA):** Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11399/17/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited

Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11400/17/24]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2022-2023.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11401/17/24]

- (7) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2022-2023.

- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2022-2023.

- (8) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 11402/17/24]

**\*m18 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN):** Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the years 2006-2007 to 2022-2023.

- (2) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the years 2006-2007 to 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11403/17/24]

---

**12.06 hrs**